-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले सगे मामा को थाना बबेरु पुलिस द्वारा सूचना के 02 घण्टे के भीतर अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बबेरु पुलिस द्वारा सगी भांजी के साथ अश्लील हरकत करने वाले मामा को सूचना के 02 घण्टे के भीतर अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि आज दिनांक 30.04.2025 को थाना बबेरु क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना बबेरु पर सूचना दी कि दिनांक 29.04.2025 की रात्रि को उसके सगे भाई द्वारा उसकी नाबालिक पुत्री के साथ अश्लील हरकत की गई तथा विरोध करने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना पर तत्काल थाना बबेरु पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को सूचना के 02 घण्टे के भीतर ग्राम हरदौली यात्री प्रतिक्षालय के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त पर पूर्व में भी थाना बिसण्डा में चोरी और थाना बबेरु में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शफीक पुत्र शराफत खां निवासी हरदौली थाना बबेरु जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग –

- मु0अं0सं0 156/25 धारा 333/76/352/351(3) बीएनएस, 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शफीक उपरोक्त –

1. मु0अं0सं0 160/17 धारा 379/411 भादवि थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
2. मु0अं0सं0 186/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बबेरु जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री जयचन्द्र सिंह चौकी प्रभारी कस्बा बबेरु
2. उ0नि0 श्री सैफ अहमद अंसारी
3. कां0 सौरभ यादव
4. कां0 धर्मेन्द्र सिंह चौहान